मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर,2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2004 (अग्रहायण 16, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, अर्जुन पलिया, नारायण त्रिपाठी, सदस्य, सीधी जिले के सिंगरौली क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा हत्या एवं लूट किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में नागदा बांध से पानी न छोड़ने से फसलें सूखने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 18 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 19 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 20 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 21 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 22 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

5. वर्ष 2004-2005 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

निर्धारित समय

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

" दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 57, 59, 60, 62, 64, 67, 68, 72, 75, 76, 82 तथा 88 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सैंतीस सौ उनचास करोड़, आठ लाख, बानवे हजार रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय.

2 घन्टे 30 मि.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2004 (क्रमांक 17 सन् 2004) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे की विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा 30 मि.

(2) श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 15 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. प्रतिवेदन पर चर्चा

2 घन्टे

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 पर चर्चा.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल
दिनांक : 6 दिसम्बर, 2004.